



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 (फाल्गुन 26, 1941)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(7), दिनांक 12 जुलाई, 2019 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, सदस्य, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ निवासी की दुर्लभ बीमारी से मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय शालाओं के छात्र-छात्राओं को रैली में सम्मिलित कराये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले में चार फर्मों द्वारा वाणिज्यिक कर जमा नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रभावित किसानों को पुनर्वास पैकेज राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 में ग्राम बनारी, हाथीटिकरा स्थित रक्सा नाले को बंद कर दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (7) सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, शैलेश पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश में संचालित पोल्ट्री फार्मों में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (8) श्री संतराम नेताम, सदस्य, दंतेवाड़ा सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में चिकित्सा सामग्री एवं औषधि खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर के स्काई-वॉक पर निर्णय लेने में विलंब किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत गोमर्डा अभ्यारण्य में अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (13) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर—चांपा जिले के मुख्य मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (14) श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य, ई—पंजीयन के दौरान प्रोटल की गति धीमा होने की ओर वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (15) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश के गौठानों में गायों (मवेशियों) की मौत होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (16) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, जिला सरगुजा, थाना लुण्ड्रा में दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (17) श्री संतराम नेताम, सदस्य, बस्तर क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण के ठेके हेतु फर्जी एफडीआर जमा किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (18) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, रायगढ़ जिले के पखनाकोट आदिवासी बालक छात्रावास के एक बालक की मौत होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (19) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, भिलाई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा घोषित विद्युत दरों में की गई कमी का लाभ नहीं मिलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (20) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कबीरधाम जिले में संचालित शक्कर कारखानों में गन्ना खरीदी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (21) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर स्थित व्ही.आई.पी. स्टेट, शंकर नगर के निवासियों की समस्याओं का निराकरण न हो पाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (22) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सुश्री शकुंतला साहू, सदस्य, बलौदाबाजार में खाद्य विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (23) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर—चांपा जिले में बिजली बिल की स्पॉट बिलिंग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (24) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर—चांपा जिले के मड़वा परियोजना की इकाई बंद होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (25) श्री संतराम नेताम, सदस्य, केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भण्डारसिवनी उद्वहन सिंचाई योजना में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (26) श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य, मानपुर विकासखण्ड के सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (27) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा बाईपास सड़क का निर्माण नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (28) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा नगर पालिका अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का कार्य आदेश जारी नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (29) श्री अजीत जोगी, सदस्य, जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### 4. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

#### 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

#### 6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) ग्राम परसदा में हाई स्कूल खोलने,
- (ii) हसौद से छपोरा मार्ग में भेड़ीकोना के पास बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,
- (iii) ग्राम मरघट्टी में हाई स्कूल खोलने,
- (iv) ग्राम घोघरी में हाई स्कूल खोलने तथा
- (v) ग्राम नरियरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

## 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय  
2 घंटे (1)

### 8. वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित-

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 28 | राज्य विधान मण्डल   |
| मांग संख्या | 13 | कृषि  |
| मांग संख्या | 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय                                   |
| मांग संख्या | 16 | मछलीपालन  |
| मांग संख्या | 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय                        |
| मांग संख्या | 23 | जल संसाधन विभाग   |
| मांग संख्या | 40 | आयाकट विभाग से संबंधित व्यय                                     |
| मांग संख्या | 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य  |
| मांग संख्या | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| मांग संख्या | 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |

2घंटे 30 मिनट (2)

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित-

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय    |
| मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                   |
| मांग संख्या | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय             |
| मांग संख्या | 7  | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)       |
| मांग संख्या | 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय     |

2घंटे 30 मिनट (3)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री के विभागों से संबंधित-

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 24 | लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल                                 |
| मांग संख्या | 67 | लोक निर्माण कार्य - भवन   |
| मांग संख्या | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| मांग संख्या | 3  | पुलिस   |
| मांग संख्या | 4  | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                                    |
| मांग संख्या | 5  | जेल   |
| मांग संख्या | 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व  |
| मांग संख्या | 37 | पर्यटन  |

रायपुर,  
दिनांक 15 मार्च, 2020

चन्द्र शेखर गंगराडे  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा